



न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक 87/2012-2013 R 2333-III/13

नंद किशोर पुत्र नन्हें सिंह रावत, निवासी-ग्राम
कल्याणपुर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी

— प्रार्थिनी

बनाम

रामस्वरूप पुत्र श्री जोधराम रावत, निवासी-ग्रामा
कल्याणपुर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी

— प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता
1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 08/05/13 पारित द्वारा
अनुविभागीय अधिकारी परगना करैरा, जिला शिवपुरी
(म.प्र.) प्रकरण क्रमांक 87/12-13 अपील।

माननीय महोदय,

प्रार्थिनी की निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य:-

1. यह कि, कृषि भूमि सर्वे क्रमांक-18, 22/1/10 एवं 30/1 मिन का रकवा, रकवा 2.57 हेक्टर, स्थित ग्राम कल्याणपुर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी प्रार्थी के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि है। उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी एवं उसके पिता नन्हें सिंह रावत का लगभग 17-18 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त भूमि का व्यवस्थापन किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र तहसील नरवर के समक्ष वर्ष 2004 में प्रस्तुत किया गया था, जो प्रकरण क्रमांक 21/2004-05/अ-19 पर दर्ज किया गया था। तहसील नरवर द्वारा विधिवत् इशतहार जारी किये गये। इशतहार अवधि पश्चात् आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। तत्पश्चात् तहसीलदार महोदय द्वारा मौजा पटवारी से विधिवत् रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् एवं प्रार्थी की साक्ष्य ग्रहण करने के पश्चात् दिनांक 05/11/2005 को प्रार्थी के हित में कब्जे के आधार पर उपरोक्त भूमि व्यवस्थापन किये जाने का विधिवत् आदेश पारित

R 2333 ज्ञा 13

29-9-15

कॉलेज की कोर लेख्यता
अपराध को रूपांतरित नहीं। समय
समय पर तीन बार पुकार करा जा
गए। कॉलेज की कोर से कोर
अपराध नहीं। कॉलेज की कोर
ले की शक्ति को बढ़ा दी जायेगा
कॉलेज की अनुपस्थिति में प्रकाश
केंद्र में भी रखा जायेगा और
ही प्रकाश का अधिक रिकार्ड है।

सहस्र

[Signature]

[Signature]